फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

खेमचन्द बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 73/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राजस्व सीमा मीनावाडा तह0 बहरावण्डा में आराजी कृषि भूमि 609/386 रकबा 0.5040, 611/387 रकबा 0.6720, 613/389 रकबा 0ण्6920 जो खाता संख्या 67 की है में स्थित है। जिसके पूर्व रकबा 385, 386, 387 व 389 दर्ज रिकार्ड थे जो वादी व अन्य सह खातेदारो के नाम से दर्ज थी जिसके पूर्व नम्बर 73/1 मि., 73/1 मि., 73/2, 73/3 थे जिनका मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश है। यह है कि खसरा नम्बर 385 रकबा 0.0100 गै. मु. बोरिंग, 608/386 रकबा 0.0160, 610/387 रकबा 0.0380, 612/389 रकबा 0.0380 है0 गै. मु. सडक के नाम से दर्ज रिकार्ड है अवलोकनार्थ जमाबन्दी सम्बत् 2071–2074 पेश है जबकि 385 में स्थापित बोरिंग वादी व सह खातेदारो द्वारा करवायी गई है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 385, 386, 387, 389 ग्राम मीनावाडा की पूर्व से भूमि वादी व अन्य 13 सह खातेदारो के नाम से चली आ रही है जिन पर मुताबिक हिस्सा वादी व अन्य सह खातेदार बाहमी बटंवारा के अनुसार आज दिनांके काबिज काश्त हो कर चले आ रहे है। अवलोकनार्थ जमाबन्दी सम्बत् 2071–2074 संलग्न पेश है जिसका विधिवत तकास्मा आज दिन तक नहीं हुआ है। यह है कि वादी की बना सहमती व बिना विधिवत तकास्मा हुये ही प्रतिवादी नम्बर 3 ने बसाज प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विभाग सार्वजनिक निमार्ण के नाम से खसरा न0 385 पूर्ण व 386, 387, 389 में से भूमि पृथक कर दर्ज रिकार्ड करी दी। जो नम्बर 608/386, 610/387, 612/389 दर्ज नम्बर कर इसी भांति नक्शे, ,खसरा न0 में अंकन कर दिया गया है। जो विधि विरूद्ध व बिना नियमो कि पूर्ति व बिना वादी की सहमति व जानकारी के बिना निर्धारिक मुआवजा राशि दिये दर्ज रिकार्ड कर दी। इस कारण प्रार्थी का न्यायहित में प्रार्थना पत्र अ0 नि0 पेश करना आवश्यक हुआ है। यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 रिकार्ड में विभाग के नाम से दर्ज होने के आधार पर पक्का रोड बनाने पर आमादा है जिसका वो कोई अधिकार नहीं रखते है जिनके अवैध कृत्य को रोकने हेतू प्रार्थना पत्र अ0 नि0 पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए मूल वादपत्र के निर्णय तक अस्थाई निषे0 विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जावे। अप्रार्थीगण की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया है कि राजवास सडक से मीनावाडा सडक कार्य की लम्बाई 1.65 किमी की स्वीकृति पीएमजीएसवाई योजना के अन्तर्गत दिनांक 29.09.208 को राशि रु. 34.29 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रामचन्द्र / राज: सरकार   वा. नं. 73/25

धा. पत्र 136 L.R. Act

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सडके जिनमे भूमि विवाद थे, के प्रस्तावएस.ई. (पीएमजीएसवाई) / भूमि अवाप्ति / डी–15 दिनांक 09.04.2010 के द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्ताव मांगे। अति. सचिव पी. डब्ल्यूडी. राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक सीए / पीएमजीएसवाई / 2011 / 2262 निांक 09.01.2012 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिग्रहण करने की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त प्रकरण इस कार्यालय के पत्रांक 7309–11 दिनांक 08.02.2012 के द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी ग्रामीण वृत जयपुर को भूमि संबंधि विवरण भिजवाया गया। एफ–2 (19) सानि / एएफ / 2012 / डी–511 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गई। दिनांक 14.03. 2013 को भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दोसा गजट एवं ब्यूरो संदेश में प्रकाशित की गई । दिनांक 18.02.2016 को भूमि अवाप्ति अधिकारी ग्रामीण वृत जयपुर के द्वारा राशि रु. 1144025 / – का अवार्ड पारित किया गया। राजस्थान सरकार ने अपने पत्रांक एफ 7(45) अनु.–2 / 2016 / डी–210 दिनांक 23.07.2018 के क्षरा अवार्ड राशि रु. 1292749 / – की अनुपालना मे 18 कास्तकारो को राशि रु. 624521 / – का भुगतान ाकर दिया गया एवं 38 कास्तकारो द्वारा भुगतान हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण शेष राशि रु.519501.00 माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश दौसा में दिना।क 06.03.2020 को डीडी संख्या 151847 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा जमा करा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा राजवास सडक से मीनावाडा राजस्व ग्राम को डामर सडक से जोडने बाबत पत्रांक एफ 7 (53) अनु. –2 / 2019–20 / डी–979 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा 1.65 किमी लबाई में राशि रुपये 66.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त सडक निमार्ण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर सडक निर्माण कार्य बाबत कार्यदेश अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के आदेश संख्या 4598–4610 दिनांक 10.02.2019 के द्वारा 42. 72 लाख का जारी कर दिया गया है। जिसमें कार्य प्रारम्भ एंव पूर्ण करने की दिनांक क्रमशः 20.02.2020 एवं 19.08. 2020 है। विभाग द्वारा सडक के मध्य से अवाप्त शुदा भूमि 7.50 मीटर (24.50) में सडक निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। इस अवाप्त भूमि के अन्दर कोई पक्का निर्माण जैसे दुकान, मकान तोडने की कोई आवश्यकता नही है। अवाप्तशुदा भूमि पर वादी द्वारा भूमि अवाप्त किए जाने के वाद अवैध रूप से बोरवेल एवं टायलेट का निर्माण कर दिया है सडक निर्माण हेतु यह अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम मीनावाडा एवं राजकीय विद्यालय मीनावाडा के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बिना विधिक प्रकिया अपनाए जबरन सडक निर्माण करने पर आमादा है इसलिए मूल वादपत्र के निर्णय तक टी0आई0 कन्फर्म की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

खेमचन्द | राज सरकार

प्रा०पत्र 136 L.R. Act   प्र०सं० 73/25

पत्रावली एवं जवाब के अवलोकन से यह बखूबी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सडक निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रकरण मे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा